बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम

विज्ञापन संख्या– 31/2024, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधीन बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत गैर सम्वर्गीय पद राज्य अग्निशमन परामर्शी एवं सलाहकार के एकल पद पर नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश–

दिनांक एवं दिन	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से)
	उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन नम्बर
05.08.2024 सोमवार	**202431000003, 202431000005, 202431000006, 202431000008, 202431000044, 202431000048, 202431000061, 202431000075, 202431000113, 202431000116 , 202431000119**

02. उपर्युक्त उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन पत्र निर्गत होने और दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता सम्पुष्ट नहीं होती है। ऑनलाईन आवेदन में उनके द्वारा अंकित किये गये दावा के अनुसार शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र इत्यादि के विज्ञापन की शर्त्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर उनकी अर्हता के सम्बन्ध में यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने/उनके अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा एवं आयोग का उक्त निर्णय सर्वमान्य होगा।

03. उपर्युक्त उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन पत्र, दस्तावेज सत्यापन प्रारम्भ होने की तिथि के एक सप्ताह पूर्व आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसे उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर (**Reg. No.**) डालकर डाउनलोड कर दस्तावेज सत्यापन में शामिल हो सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। आयोग के उक्त वेबसाईट पर (i) आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I एवं (ii) परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं वांछित अनुभव विवरणी प्रपत्र–II उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र– I एवं प्रपत्र–II में उम्मीदवार द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

04. **दस्तावेज सत्यापन के दिन उम्मीदवार को मूल विज्ञापन में उल्लिखित अपने मूल आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार एक सेट में लाना अनिवार्य होगाः–**

(i) परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाईन आवेदन की Hard Copy की प्रति।

(ii) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य एवं अंक के निर्धारण हेतु)

(iii) इंटरमीडियट का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (अंक के निर्धारण हेतु)।

(iv) स्नातक (अग्निशमन अभियंत्रिकी)/एम॰आई॰ (अग्निशमन अभियंत्रिकी) एवं समकक्ष का प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(v) स्नातक (अग्निशमन अभियंत्रिकी)/एम॰आई॰ (अग्निशमन अभियंत्रिकी) एवं समकक्ष का अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(vi) आवश्यक कार्यानुभव हेतु संबंधित विभाग/कार्यालय के विभागाध्यक्ष /नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
नोटः– अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित होना चाहिए कि अनुभव अग्निशमन क्षेत्र से सम्बन्धित है एवं उक्त के निमित नियुक्ति पत्र/प्रोन्नति पत्र/वेतन पर्ची समर्पित करें।

(vii) मैट्रिक/इंटरमीडिएट/स्नातक अंक पत्र में श्रेणी (Division/Class) अंकित नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान/विश्वविद्यालय से निर्धारित नियमावली के अंतर्गत निर्गत प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(viii) मैट्रिक/इंटरमीडिएट/स्नातक स्तर पर अंक की जगह ग्रेड रहने की स्थिति में सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के अंतर्गत ग्रेड एवं CGPA को प्रतिशत या अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने की स्थिति में)।

(x) बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र। (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने की स्थिति में)।

(xi) दिव्यांगता से सम्बन्धित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने की स्थिति में)।

(xii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xiii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

(xiv) हाल का खिंचा हुआ 02 फोटो।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति एक सेट में उम्मीदवार द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने करने की अंतिम तिथि 06.06.2024 तक का होना आवश्यक है।

05. **उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं तो उनकी अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

06. यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन उम्मीदवार अपनी योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो उनको दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं कराया जायेगा।

07. **दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किये जा रहे उम्मीदवार की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के पूर्व या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

08. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

09. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

10/7/24

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना